(150)

संख्याः 105/स.क.–04–49(समाज कल्याण)/2002

प्रेषक,

एस. के. मुट्टू
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तरांचल,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

समाज कल्याण अनुभाग। देहरादून : दिनांकः 15 जनवरी, 2004

विषयः अनुसूचित जनजाति को स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत मिलने वाले अनुदान सीमा में वृद्धि।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत शत प्रतिशत विशेष केन्द्रीय सहायता से उत्तरांचल बहुद्देशीय वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को दिये जाने वाले अनुदान की अधिकतम सीमा रू. 10,000/– निर्धारित है, जबकि ट्राईबल सब प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को दिये जाने वाले अनुदान की अधिकतम सीमा रू. 6,000/– ही है।

अतः दोनों वर्गों के अनुदान में एकरूपता बनाये रखने के दृष्टिकोण से श्री राज्यपाल महोदय ट्राईबल सब प्लान के अन्तर्गत शत प्रतिशत विशेष केन्द्रीय सहायता से उत्तरांचल बहुद्देशीय वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को दिये जाने वाले अनुदान की अधिकतम सीमा अब योजना की अनावर्ती लागत का 50 प्रतिशत अथवा रू. 10,000/– जो भी कम हो, तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उक्त अनुदान गरीबी से नीचे रहने वाले परिवारों को ही अनुमन्य होगा। यह अनुदान किसी राजकीय योजनान्तर्गत स्वतः रोजगार हेतु एक बार ही अनुमन्य होगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–971/वित्तअनु.–2/2003, दिनांक 14–01–2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस. के. मुट्टू)
प्रमुख सचिव।

Bhatt-bgt-03-04

20/1/04

संख्याः105(1)/स.क.–04–49(समाज कल्याण)/2002/तददिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबेराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।

2– मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल।

3– आयुक्त, ग्राम्य विकास, पौड़ी।

4– प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल बहुद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि0, देहरादून।

5– सचिव, जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

6– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

7– निदेशक, कोषागार एवं वितीय सेवायें।

8– निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी, उत्तरांचल, देहरादून।

9– निजी सचिव, मा. मंत्री जी, समाज कल्याण, उत्तरांचल, देहरादून।

10– निदेशक, सूचना, उत्तरांचल, देहरादून।

11– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।

12– समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरांचल।

13– निदेशक, आकाशवाणी, उत्तरांचल, देहरादून।

14– निदेशक, दूरदर्शन, उत्तरांचल, देहरादून।

15– वित्त अनुभाग–2, उत्तरांचल शासन।

16– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(के. एस. दरियाल)
अपर सचिव।

कार्यालयःउत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि0,
1523 सैक्टर–1–सी–10डिफैन्स कालोनी,देहरादून.

पत्रांक/ /जनजाति अनुदान/2003–04 दिनांकः 20-01-04

प्रतिलिपिः–समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी पदेन जिला प्रबन्धक, उ0बहु0वित्त एवं विकास निगम लि0,उत्तरांचल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2– समस्त जिलाधिकारी , उत्तरांचल को सूचनार्थ प्रेषित।

(एम.सी.ठाकुर)
महा प्रबन्धक.

Bhatt-bgt-03-04